न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू (जयपुर)

[illegible]/2019

[illegible]

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
   समस्त जाति [illegible], निवासी ग्राम धोबलाई, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. [illegible], जाति [illegible], निवासी ग्राम धोबलाई, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible], जाति [illegible], निवासी ग्राम धोबलाई, तहसील चौमू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज. भू-राजस्व अधि. 1956

निर्णय दिनांक-10.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम धोबलाई, पटवार हल्का धोबलाई, भू.अ.नि. क्षेत्र रिणोदखुर्द, तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 1303 रकबा 0.01 है. ख0 नं0 1305 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.01 है0 की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा आराजी खसरा नंबर 1306 रकबा 0.38 है0 की खातेदारी प्रार्थी संख्या 3 व 4 एवं आराजी खसरा नंबर 1302 रकबा 0.13 है0 की खातेदारी प्रार्थी नं0 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की भूमियों का पड़ौसी खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.06.2019 को श्रीमान उपतहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़ के आदेश क्रमांक एलआर/2019/19 दिनांक 03.06.2019 की पालना में राजस्व ग्राम धोबलाई के ख0नं0 1302, 1306, 1303, 1305, कुल किता 4 के मौके पर सीमाज्ञान हेतु पहुंचा। मौके पर प्रार्थीगण एवं अन्य मौतबिरान उपस्थित आये। उपस्थित के समक्ष सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम चाह ख0नं0 1303 से चाह ख0नं0 1245 के मध्य जरिब चालकर जांच की गई जो मौका नक्शा सही नही पाया तदउपरान्त चाह ख0 नं0 1303 से चाह ख0 नं0 1279 के मध्य जरिब चालकर जांच की गई, जो मौका नक्शा सही पाया गया। तदउपरान्त उक्त जरिब लाईन पर बिन्दु कायम कर एवं अन्य मौके पर मौजूद सीमाओ से जांच कर खसरा नंबर 1302, 1306, 1303, 1305 की चारो सीमाओ का सीमाज्ञान करवाया गया। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी खसरा नंबरो की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।

प्रार्थना पत्र के अंत मे प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जावे कि वह सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम धोबलाई, पटवार हल्का धोबलाई, भू.अ.नि. क्षेत्र रिणोदखुर्द, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 1303 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1305 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.01 है0, ख0 नं0 1306 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 1302 रकबा 0.13 है0 की पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान करें जिससे प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा हो सके।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ के आदेश से दिनांक 22.06.2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्र0पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्र0पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 22.06.2019 के अनुसार उभयपक्षकारो को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(हिम्मत सिंह) जयपुर
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:35:26 IST
Reason: SelfAttested